

238

राजस्थान सरकार  
राजस्व श्रृंखला-6 विभाग

जयपुर जिला कौन्सिलर

प्रमाणिक: म.5११0/राज-6/99/10

जयपुर, दिनांक: 3-10-2001

विषय: - जनोपयोगी भवनों हेतु कृषि भूमि के जापेंशन के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ: - राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 5११0/राज-6/99/2  
दिनांक: 13-2-2001

महोदय,


निर्देशानुसार यह है कि इस विभाग की आज्ञा सं० म.5११0/राज/पौ/60 दिनांक 27-7-63 में उल्लेखित अधिसूचना दिनांक 13-2-2001 द्वारा अधोपन किया गया था । इस अधोपन के परिणामस्वरूप चरगाह भूमि होने पर राज्य सरकार की पूर्वाज्ञप्ति प्राप्त करने का उल्लेख किया गया था । इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि राजस्थान टोनेन्सो स्ट्रुट 1955 के अधीन बने निम्न राजस्थान टोनेन्सो उत्तरवर्ती नियम 1955 के नियम 7 के प्रावधान यथावत लागू होते हैं । अतः ऊपर उल्लेखित दिनांक 20-7-63 में 4 हेक्टेयर तक की चरगाह भूमि का वर्गीकरण जिला कौन्सिलर स्वयं परिष्कृत कर सकता है तथा उसके अधिक के प्रकरणों में राज्य सरकार की पूर्वाज्ञप्ति आवश्यक है ।

भवदीय,

  
उप शासन सचिव

प्रतिनिधि अंशालेय जाकुस्त अमीर, उदयपुर, चोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है ।

उप शासन सचिव राजस्व श्रृंखला-3 विभाग को ।

  
उप शासन सचिव